भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1055

दिनांक 09 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सौंदर्य त्वचाविज्ञान और लेज़र उपचार का विनियमन

1055 श्री विवेक के. तन्खाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर में अयोग्य या अपंजीकृत व्यक्ति सौंदर्य त्वचाविज्ञान और लेज़र उपचार प्रदान कर रहे हैं;
(ख) क्या ऐसी अविनियमित प्रथाओं के परिणामस्वरूप रोगियों को नुकसान पहुँचा है या उनकी मृत्यु हुई है;
(ग) क्या मौजूदा विधिक प्रावधान इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हैं;
(घ) क्या सरकार इस पर निगरानी हेतु एक केंद्रीय कानून बनाने या एक समर्पित विनियामक निकाय सृजित करने का विचार रखती है; और
(ङ) इस क्षेत्र में रोगी सुरक्षा और नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोग (एनएमसी) ने रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने और नैतिक चिकित्सा पद्धतियों को बनाए रखने के लिए दिनांक 20.09.2022 के पत्र द्वारा सौंदर्य शल्य चिकित्सा और बाल प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। एनएमसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोग (एनएमसी) का नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी) चिकित्सा पेशेवरों के पेशेवर आचरण को विनियमित करता है और उनके बीच चिकित्सा नैतिकता को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियम, 2002 के खंड 8.2 में चिकित्सा पेशेवरों द्वारा पेशेवर कदाचार से संबंधित शिकायतों के निपटान हेतु एक तंत्र का प्रावधान है।
